स्तम्भ–1 विद्यमान नियम		स्तम्भ–2 एतत्द्वारा प्रतिस्थापित नियम	
14. अधिनियम की धारा 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66 और 67 के उपबन्धों अधीन दस्तावेजों के निरीक्षण और प्रमाणित प्रतियां देने के लिये निम्नलिखित फीस उदगृहीत की जायेगी :–		14. अधिनियम की धारा 58, 60, 61, 62, 63, 64 66 और 67 के उपबन्धों अधीन दस्तावेजों के निरीक्षण और प्रमाणित प्रतियां देने के लिये निम्नलिखित फीस उदगृहीत की जायेगी :–	
(1) नियम 12 के अधीन प्रत्येक निरीक्षण के लिये।	फर्म्स से सम्बन्धित रजिस्टर के एक जिल्द या समस्त दस्तावेजों के निरीक्षण के लिये चार रूपयें।	(1) नियम 12 के अधीन प्रत्येक निरीक्षण के लिये।	फर्म्स से सम्बन्धित रजिस्टर के एक जिल्द या समस्त दस्तावेजों के लिए 200 रूपये।
(2) नियम 13 के अधीन किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति के लिये।	प्रति सौ शब्द या उसके भाग के लिये चार रूपये।	(2) नियम–13 के अधीन किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति के लिये।	प्रति पृष्ठ के लिए साठ रूपये।
(3) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति के लिये।	चार रूपये।	(3) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति के लिये।	एक सौ रूपये।
(4) धारा 58 के अधीन कथन।	एक सौ पचास रूपये।	(4) धारा 58 के अधीन कथन।	पांच हजार रूपये।
(5) धारा 60 के अधीन कथन।	तीस रूपये।	(5) धारा 60 के अधीन कथन फर्म के नाम, कारोबार के मुख्य स्थान में परिवर्तन के लिए।	एक सौ पचास रूपये।
(6) धारा 61 के अधीन कथन।	तीस रूपये।	(6). धारा 61 के अधीन कथन शाखाओं के खोलने एवं बन्द करने के लिए।	एक सौ पचास रूपये।
(7) धारा 62 के अधीन कथन।	तीस रूपये।	(7) धारा 62 के अधीन कथन भागीदारों के नाम एवं पतों में परिवर्तन के लिए।	एक सौ पचास रूपये।